

19-6-17

पठारवाली आज राजस्व लेख फ़ादालत  
शिखिर हुकाम उपरोक्त में पेश हुई।  
पाटी शिखिर के दौरान उपस्थित। पठारवाली  
का अध्ययन व परिदृश्य किया गया।  
पठारवाली के अफ़सलोकन से यह प्रतीत  
होता है कि वादी ने अपने वादपत्र  
में वादी की ज़ावेदारी आराज़ियात  
की वर्तमान जमाबंदी प्रकृत वादपत्र में  
सैलान का प्रकृत व नही की है।  
इन्हें फ़ारिफ़ वादी की ज़ावेदारी  
आराज़ियात क्रम 577, 573 से जुड़ाने  
हुए रहने हेतु चाही गई वाद हेतु  
प्रमाण क्रम 576, 578, 579 के  
वर्तमान ज़ावेदार जिनको वादी ने  
अपने वादपत्र में पक्षकार के रूप  
में संयोजित नहीं किया है जो कि  
आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रकरण में  
किसी भी प्रकार का निष्पक्ष पारिश्रम  
कले से पूर्व प्रमाणित ज़ावेदार को  
दुना जाना आवश्यक है ऐसी स्थिति  
में वादपत्र को आगे चलाना उचित  
प्रतीत नहीं होगा है।

आतः वादी का वादपत्र अपूर्ण एवं  
नूरीपूर्ण होने से खारिज किया जाने  
के आदेश पारिश्रम किया जाते हैं।

पठ  
हुक

क्र  
सं  
सं  
सं

हुकम या कार्यवाही भय इतिव्ययस्य पत्र

नम्बर व तारीख  
अहकाम की इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

पकवली गणना से कम की जाय  
कुशल शुभा 